

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क) (आई-13) अलेसे-1/

दिनांक: 20.4.15

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 100 दिनांक 28.10.2014 के द्वारा श्री इमामुद्दीन कुरैशी, (लिंक नम्बर 8706) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम कार्यालय अधीक्षक, जे.के.लोन, जयपुर का स्थानान्तरण / पदस्थापन आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के रिक्त पद पर किया गया था, किन्तु विभागीय आदेश की पालना में आदिनांक तक श्री कुरैशी सहायक लेखाधिकारी-प्रथम द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है।

अतः श्री इमामुद्दीन कुरैशी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम को संदर्भित आदेश दिनांक 28.10.2014 की निरन्तरता में आज दिनांक 20.04.2015 को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 21.04.2015 को पूर्वान्ह में ही नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा विभागीय आदेशों की अवहेलना के लिए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।



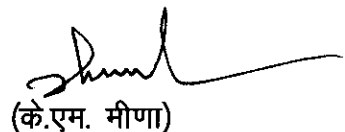
(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/1845-1853

दिनांक: 20/04/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षक, जे.के.लोन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे सम्बन्धित को दिनांक 21.04.15 को पूर्वान्ह में कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित कर विभाग को सूचित करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
5. कोषाधिकारी सचिवालय / शहर को प्रेषित कर लेख है कि श्री कुरैशी, सलेअ ग्रेड-प्रथम का माह अप्रैल 2015 का वेतन बिल नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने तक पारित नहीं किया जावे।
6. श्री इमामुद्दीन कुरैशी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम अधीक्षक, जे.के.लोन, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन से कार्यभार छोड़कर (Charge relinquish) नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना अविलम्ब फ़ैक्स / व्यक्तिशः प्रस्तुत करावें, अन्यथा निर्देशों की अवहेलना के लिये बिना किसी सूचना के अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
8. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
9. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।



(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)